उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(विकास शाखा)

पत्रांक :585. / वि0

प्रेषक,

उपायुक्त,
रामगढ़।

सेवा में,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची।

रामगढ़, दिनांक :– 09.07.2015.

विषय : – जिला स्तरीय **CSR** समिति के गठन तथा बैठक की कार्यवाही के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय निदेश के आलोक में जिला स्तरीय **CSR** समिति के गठन तथा बैठक की कार्यवाही की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

उपायुक्त,
रामगढ़।

56

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(विकास शाखा)

दिनांक 06.07.2015 को उपायुक्त, रामगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न CSR की जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही:—

1. उपस्थिति:— पंजी के अनुसार।
2. सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 88/C दिनांक 29.05.2015 से प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2015 को सम्पन्न राज्य स्तरीय CSR समिति की बैठक में प्राप्त निदेशानुसार कार्यालय आदेश ज्ञापांक 562/वि0 दिनांक 04.07.2015 से गठित जिला स्तरीय CSR समिति के सदस्यो के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए CSR के तहत की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना पर विस्तार से विचार—विमर्श किया गया। बैठक में उल्लेखित विभिन्न प्रतिष्ठानो के प्रमुख/प्रतिनिधियों से बारी—बारी करके उनके द्वारा किये जाने वाले वित्तीय वर्ष 2015—16 अन्तर्गत CSR के तहत कार्यो के लिये प्रस्तावो एवं बजट पर चर्चा की गयी। विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा अपने—अपने CSR बजट की जानकारी दी गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है : —

क्र0सं0	प्रतिष्ठान का नाम	वित्तीय वर्ष 2015—16 में बजट प्रावधान
1	C.C.L. कुज्जू।	99.00 लाख
2	C.C.L. चरही।	100.00 लाख
3	C.C.L. अरगड्डा	85.60 लाख
4	C.C.L. बड़कासयाल।	96.00 लाख
5	C.C.L. रजरप्पा।	90.00 लाख
6	TISCO	770.00 लाख

उल्लेखित बजट प्रावधानो के तहत वार्षिक कार्य योजना से संबंधित प्रस्ताओ की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित को निदेश दिया गया, ताकि अगली बैठक में इस पर विचार करके कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

3. उपायुक्त, महोदय द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त (ODF) के अन्तर्गत पंचायतो का चयन कर उस पर कार्य करने की योजना को प्राथमिकता दी जाय।
4. छोटी—छोटी योजनाओ के स्थान पर आर्थिक रूप से पिछड़े गांवो में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित बडी योजनाओं का कार्य करना श्रेयष्कर होगा।
5. राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयो में अधारभूत सुविधाओं जैसे— पीने का पानी, शौचालय, लेखन सामाग्री वितरण इत्यादी योजनाओं को वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।
6. प्रस्तावित कार्यो को धरातल पर उतारने के क्रम में यदि किसी प्रकार का जमीन विवाद या क्षेत्रीय लोगो द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो इसकी तुरंत सूचना जिला प्रशासन को देने हेतु निदेश दिया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन उपायुक्त, महोदय द्वारा दिया गया।
7. JSPL एवं PTPS के महाप्रबंधको के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उपायुक्त, महोदय द्वारा क्षोभ व्यक्त किया गया। साथ ही, उक्त दोनो संस्थानो के CSR की वार्षिक कार्य योजना एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

55

8. सभी प्रतिष्ठानों को निदेशित किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में एक–एक ग्राम पंचायत को ODF करने हेतु चयन करेंगे, और चयनित ग्राम पंचायतो के संबंध में CSR की जिला स्तरीय समिति को अवगत् करावेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक 584 / वि0 रामगढ़, दिनांक 9.7. / 2015

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित प्रतिष्ठानो एवं पदाधिकारियो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/15
उपायुक्त,
रामगढ़।